कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बडकोट (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer Construction Division PWD Barkot (Uttarkashi)
Fax Tel No 01375224828
E-Mail eepwdbakot@rediffmail.com

पत्रांक 1219 /1सी० दिनांक 17/08/2017

सेवा में,

रिलायन्स जियो इन्फोकौम
लिमिटेड एन0सी0आर0 प्लाजा
देहरादून ।

विषयः— **फूलचट्टी जानकीचट्टी मोटर मार्ग में ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा फूलचट्टी जानकीचट्टी मोटर मार्ग में कि0मी0 1.00 से कि0मी0 3.40 तक ओ0एफ0सी0 केबल बिछाये जाने से रोड कटिंग चार्जेज हेतु गठित प्रस्ताव रू0 32.09 लाख के सापेक्ष रू0 32.09 लाख का डी0डी0 एच0डी0एफ0सी0 बैंक डी0डी0 नम्बर 741002 दिनांक 09.08.2017 धनराशि रू0 32.09 लाख का जमा करा दिया गया है।

अतः निम्न प्रतिबंधो के साथ रोड कटिंग की अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।

1. 0.30 मीटर चौडाई में ही रोड कटिंग का कार्य किया जाय। इससे अधिक चौडाई में कटिंग आवश्यकता पर विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी एवं इस हेतु तत्समय प्रचलित आगणन के अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी होगी।
2. 200 मीटर लम्बाई में खुदाई करने के पश्चात ट्रैन्च को भरना होगा तत्पश्चात आगे की खुदाई करनी होगी।
3. यातायात किसी भी प्रकार से बाधित न हो एवं मलवा पक्की सतह पर इक्टठा नही किया जायेगा।
4. सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश चेतावनी बोर्ड/कॉशन बोर्ड का प्रयोग करते हुए सुचारू यातायात सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मै0 रिलायन्स जियो इन्फोकौम लि0 का होगा।
5. मार्ग के Permanent Structure जैसे पुल, कैचपिट पक्की सतह आदि को क्षति नही पहुँचे। यदि आवश्यकता हुई तो इंजीनियर इन्चार्ज से पूर्वानुमति लेनी होगी। किसी प्रकार की क्षति को तत्समय प्रचलित आगणन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी।
6. इस मार्ग में कार्य करते समय पूर्व में डाली हुई केबिल यदि क्षतिग्रस्त होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मै0 रिलायन्स जियो इन्फोकौम लि0 की होगी।

7. सडक कटाते समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए मार्ग के दोनो ओर प्रबन्ध किये जायें। उक्त कार्य के दौरान कोई दुर्घटना घटती है तो इसका पूर्ण उत्तरादयित्व मै0 रिलायन्स जियो इन्फोकौम लि0 होगा।

8. खुदाई करते समय पक्के मार्ग के नीचे का स्टोन बैलास्ट आदि ट्रैन्च के एक ओर तथा खुदाई की दूसरी और रखी जाय। कार्य पूर्ण होने पर पहले मिट्‌टी भरी जाय, एक दो दिन बाद मिट्‌टी दबाव खोदा गया स्टोन बैलास्ट उसके ऊपर डाला जाय, मिट्‌टी तथा स्टोन बैलास्ट को ट्रैन्च में पानी से काम्पैक्ट किया जाय।

9. चारधाम यातायात पर किसी भी विशेष परिस्थिति में कार्य को रोकने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

10. उक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर अनुमति निरस्त की जा सकती है।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

17/08/17

(ई0 जे0पी0 रतूडी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट